

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा", विट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0019/14

मैसर्स ए.व्ही.एन. ट्यूब्स लिमिटेड
19/2 माइलस्टोन, भिण्ड रोड, मालनपुर
ग्वालियर (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

महाप्रबंधक (संचा/संधा) वृत्त,
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी
लिमिटेड, ग्वालियर (म.प्र.)

— अनावेदक

आदेश

(दिनांक 26.2.2015 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम , भोपाल (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्रमांक टी-34 मैसर्स ए.व्ही.एन. ट्यूब्स लिमिटेड, विरुद्ध महाप्रबंधक में पारित आदेश दिनांक 9.5.2014 के विरुद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष अनावेदक विद्युत अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की थी कि दिनांक 18.11.2013 को उसके परिसर में स्थापित विद्युत भार को 300 केवीए से कम कर 100 केवीए किया गया था । तेज आंधी के कारण उसके परिसर का शेड टूट जाने के कारण उत्पादन पूर्णतः बंद हो गया । परिसर का रिपेयर नहीं किया गया है। अतः उत्पादन करना संभव नहीं है। दिनांक 15.4.1987 को अनावेदक के साथ उसकी जो संविदा हुई थी उस संविदा की कंडिका 23 (ए) के प्रावधानों के अनुसार विद्युत का उपयोग नहीं होने के कारण उसके परिसर के विद्युत भार दिनांक 23.12.2013 से "निल" किया जाये। उसने इस संबंध में दिनांक 29.11.2013 को संबंधित अधिकारी को पत्र दिया था। दिनांक 2.12.2013 को जांच में उसका शेड गिरा हुआ पाया गया था जिसके कारण उसके द्वारा उत्पादन असंभव था । वह विद्युत का उपयोग नहीं कर रहा है । अतः उसे टैरिफ चूज करने का अधिकार है।

3. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का विरोध इस आधार पर किया गया कि उपभोक्ता ने 300 केवीए से 100 केवीए भार दिनांक 18.11.2013 से कम किये जाने तथा दिनांक 23.12.2013 से "निल" लोड किये जाने की मांग की है, जबकि ऐसा करने की स्वीकृति उसे नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 11.2 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को 7 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है परन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है और किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को दैवीय आपात की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जांच करने पर भी इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। उपभोक्ता पर मार्च 14 तक रू. 1634115/- बकाया है।

4. उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा यह निष्कर्ष दिया है कि विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 11.2 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा दैवीय आपात की सूचना निर्धारित 7 दिवस की कालावधि नहीं दी गई है और ऐसी परिस्थितियों का सत्यापन भी अनावेदक की ओर से नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी उपभोक्ता नहीं है।

5. फोरम के उक्त आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम ने तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विधि का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है। अतः उसकी शिकायत का निराकरण करते हुए उसे वांछित लाभ दिया जाना चाहिए।

6. **विचारणीय प्रश्न यह है कि :-**"(1) क्या उभयपक्ष के निष्पादित अनुबंध दिनांक 15.4.87 की कंडिका 23 (ए) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विद्युत का उपयोग नहीं होने के कारण उपभोक्ता के परिसर का भार दिनांक 23.12.2013 से शून्य किया जा सकता है?

(2) क्या दैवीय आपात के कारण उपभोक्ता के परिसर में विद्युत का उपयोग न हो पाने के कारण वह भार में कमी किये जाने का पात्र है?"

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है

7. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का विवेचन** – उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो शिकायत प्रस्तुत की थी उस शिकायत के साथ प्रश्नगत अनुबंध को प्रस्तुत नहीं किया गया था। फोरम के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ भी ऐसे अनुबंध को प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उभयपक्ष के मध्य निष्पादित अनुबंध

की कंडिका 23 (ए) में क्या प्रावधान थे इसकी जानकारी प्राप्त न होने के कारण इस संबंध में कोई भी निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि इस बिन्दु के संबंध में फोरम ने कोई विचार नहीं किया है और निष्कर्ष भी नहीं दिया है। अतः प्रश्नगत अनुबंध को उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत न करने के कारण उसकी ओर से प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि विद्युत का उपयोग न करने के कारण वह भार में चाही गई सीमा तक छूट प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष उपभोक्ता के विरुद्ध दिया जाता है।

8. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का विवेचन:**—विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 11.2 का संबंध विद्युत प्रदाय की आकस्मिक विशेष परिस्थितियों से है। यदि ऐसी आकस्मिक और विशेष परिस्थितियों का लाभ उपभोक्ता प्राप्त करना चाहता है वह दायित्व उपभोक्ता पर होता है कि वह ऐसी आकस्मिक और विशेष परिस्थितियों का अस्तित्व साबित करें। इस मामले में उपभोक्ता ने जो भी दस्तावेज पेश किये हैं उनमें से किसी से यह निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है कि उसके द्वारा वर्णित विशेष आकस्मिक परिस्थितियां किस विशेष दिन को घटित हुई थी जिसके कारण वह विद्युत का उपभोग करने से वंचित रहा था। उपभोक्ता की ओर से कहा गया कि उसका शेड गिर गया था लेकिन उपभोक्ता का शेड गिर जाना ऐसी परिस्थिति में नहीं आता है जो उपभोक्ता के नियंत्रण में न हो। शेड मानव निर्मित होता है और उसे आवश्यकतानुसार यथासंभव शीघ्र पुनः निर्मित किया जा सकता है।

9. उपभोक्ता की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जाय कि उसने दैवीय आपात की सूचना भार कम किये जाने की प्रस्तावित दिनांक से 7 दिन पूर्व की थी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि वह विद्युत प्रदाय की मात्रा न्यूनतम 10 दिवस अथवा अधिकतम 6 माह के लिये कम कराना चाहता है।

10. अतः उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करते हुए फोरम ने जो निष्कर्ष दिया है उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में दैवीय आपात का घटित होना साबित नहीं होता है, अतः इस आधार पर उपभोक्ता को भार में कमी कराने का अधिकारी होना साबित नहीं होता है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का विनिश्चय उपभोक्ता के विरुद्ध नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

: निष्कर्ष :

11. उपरोक्त विवेचन से वर्णित तथ्यों के आधार पर उपभोक्ता वांछित सहायता प्राप्त करने का अधिकारी होना साबित नहीं होता है । अतः उसके शिकायत के संबंध में फोरम के आदेश को यथावत कायम रखा जाता है। उपभोक्ता की ओर प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है।

12. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो। संबंधित उभयपक्ष को आदेश की निःशुल्क प्रति दी जावे।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित।
3. फोरम की ओर प्रेषित।

विद्युत लोकपाल